न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी डूँगरपुर (राज.)
बईजलास पीठसीन अधिकारी श्री सांवरलाल आबासरा, आर.ए.एस.

मु. नं. 71/2024 रेवे.

दायर दिनांक 12.07.2024
निर्णय दिनांक 25.09.2025

1. वालमा डामोर पिता गौतमलाल डामोर, उम्र वयस्क, निवासी गांगीफला सीथल तहसील सीमलवाड़ा जिला डूँगरपुर (राज0)

वादी

बनाम्

1. अनिता पुत्री हामजी भील, आयु वयस्क,निवासी भण्डारीया पटवार हल्का सुरपुर तहसील व जिला डूँगरपुर (राज0)
2. अमरा पुत्र हलिया भील, आयु वयस्क, निवासी भण्डारीया पटवार हल्का सुरपुर तहसील व जिला डूँगरपुर (राज0)
3. दुर्गा पुत्री हलिया भील, आयु वयस्क, निवासी भण्डारीया पटवार हल्का सुरपुर तहसील व जिला डूँगरपुर (राज0)
4. नर्वदा पुत्री हलिया भील, आयु वयस्क, निवासी भण्डारीया पटवार हल्का सुरपुर तहसील व जिला डूँगरपुर (राज0)
5. प्रेमचन्द पुत्र हलिया भील, आयु वयस्क, निवासी भण्डारीया पटवार हल्का सुरपुर तहसील व जिला डूँगरपुर (राज0)
6. बाबुलाल पुत्र हलिया भील, आयु वयस्क, निवासी भण्डारीया पटवार हल्का सुरपुर तहसील व जिला डूँगरपुर (राज0)
7. रमेश पुत्र हलिया भील, आयु वयस्क, निवासी भण्डारीया पटवार हल्का सुरपुर तहसील व जिला डूँगरपुर (राज0)
8. राधा पुत्री हलिया भील, आयु वयस्क, निवासी भण्डारीया पटवार हल्का सुरपुर तहसील व जिला डूँगरपुर (राज0)
9. श्रीमति वालकी पत्नि हलिया भील, आयु वयस्क, निवासी भण्डारीया पटवार हल्का सुरपुर तहसील व जिला डूँगरपुर (राज0)
10. शंकर पुत्र हामजी भील, आयु वयस्क, निवासी भण्डारीया पटवार हल्का सुरपुर तहसील व जिला डूँगरपुर (राज0)
11. हाजु पत्नि स्व. हामजी भील, आयु वयस्क, निवासी भण्डारीया पटवार हल्का सुरपुर तहसील व जिला डूँगरपुर (राज0)
12. श्री राजस्थान राज्य जरिए भूमिधारी तहसीलदार डूँगरपुर तहसील डूँगरपुर जिला डूँगरपुर (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् बँटवाड़ा कृषि भूमि
अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट।

उपस्थित :— श्री शैलेष कुमार भण्डारी — अधिवक्ता वादी
प्रतिवादीगण सं. 1 से 11 एक पक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 12 — पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक : 24.09.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद बाबत् बंटवाडा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ग्राम गांगीफला सीथल तहसील सीमलवाड़ा जिला

डूंगरपुर का निवासी है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 ग्राम भण्डारीया पटवार हल्का सुरपुर तहसील व जिला डूॅगरपुर (राज0) के निवासीयान है। ग्राम भण्डारीया तहसील डूॅगरपुर स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 353 पुराना 277 के खसरा संख्या 188 रकबा 0.2500 हैक्टैयर, किस्म बीड प्रथम, संवत् 2078 शामलाती खाते मे दर्ज चली आ रही है। वादी ने वाद पत्र की कलम संख्या 1 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 188 कुल किता 1 रकबा 0.2500 हैक्टेयर किस्म बीड प्रथम मे से 1/6 हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 10.08.2022 के भूमि के विक्रेतागण कान्ति, मणीलाल पुत्र हामजी बरण्डा निवासी भंडारीया तहसील व जिला डूॅगरपुर से क्रय की तथा विक्रेतागण ने अपने हिस्से का कब्जा वादी को सुपूर्द किया। पक्षकारान के संयुक्त खाते दर्ज भूमि मे से वादी का 1/6 हिस्सा मौके पर कब्जे अनुसार प्रतिवादीगण के हिस्से से विभाजन किया जाकर पृथक-पृथक खाता कायम करा आराजीयात का हिस्सेनुसार बॅटवाडा किया जाने निवेदन किया गया था।

उक्त प्रकरण मे ग्राम भण्डारीया तहसील डूॅगरपुर स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 353 पुराना 277 के खसरा संख्या 188 रकबा 0.2500 हैक्टैयर, किस्म बीड प्रथम, संवत् 2078 कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.2500 हैक्टेयर मे वादी का 1/6 हिस्सा भूमि मौके पर कब्जे व हिस्से अनुसार एवं प्रतिवादीगण का हिस्से अनुसार Meats & Bounds के आधार पर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया गया, जो विभाजन प्रस्ताव तैयार कर फेहरिस्त बंटवारा एवं नक्शा ट्रेस तीन तीन प्रति मे पेश करेगे।

उक्त आदेश की पालना मे तहसीलदार डूॅगरपुर द्वारा वादवर्णित आराजीयात की बंटवारा स्कीम तैयार कर पत्रांक राजस्व/2025/965 दिनांक 17.09.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई बंटवाडा स्कीम पर बहस सुनी गई। बंटवारे का विवरण निम्नानुसार है:-

<table>
<tr><td colspan="11">ग्राम भण्डारीया पटवार मंडल सुरपुर खाता 353 किता 01 कुल रकबा 0.25 है. लगान 1.00</td></tr>
<tr><td colspan="11">अनिता, राधा, शंकर पिता हामजी, हाजु पत्नि स्व. हामजी अमरा, दुर्गा, नर्वदा, प्रेमचन्द, बाबुलाल, रमेश पिता हलिया, वालकी पत्नि स्व. हलिया वालमा पुत्र गौतमलाल जाति भील सा. देह खातेदार</td></tr>
<tr><td colspan="5">खाते अनुसार कुल दर्ज भूमि</td><td colspan="3">अनिता, राधा, शंकर पिता हामजी, हाजु पत्नि स्व. हामजी 3/5 हिस्सा बराबर, अमरा,दुर्गा,नर्वदा, प्रेमचन्द, बाबुलाल, रमेश पिता हलिया, वालकी पत्नि स्व. हलिया 2/5 हिस्सा बराबर जाति भील सा. देह खातेदार</td><td colspan="3">वालमा पुत्र गौतमलाल जाति भील (हिस्सा पूर्व)</td></tr>
<tr><td>खाता संख्या</td><td>खसरा संख्या</td><td>रकबा</td><td>किस्म</td><td>लगान</td><td>खसरा नम्बर</td><td>रकबा (है.)</td><td>किस्म</td><td>खसरा नम्बर</td><td>रकबा (है.)</td><td>किस्म</td></tr>
<tr><td>353</td><td>188</td><td>0.25</td><td>बीड प्रथम</td><td>1</td><td>188</td><td>0.2083</td><td>बीड प्रथम</td><td>188</td><td>0.0417</td><td>बीड प्रथम</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>किता 1</td><td>0.2083</td><td></td><td>किता 1</td><td>0.0417</td><td></td></tr>
</table>

तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम मौजा भण्डारियां पटवार मण्डल सुरपुर खाता संख्या 353 किता 1 कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर जो परिशिष्ठ **A** एवं नक्शा ट्रेस परिशिष्ठ **B** है। प्रकरण में बंटवारा स्किम की एक पक्षीय बहस सूनी गई। वकील वादी द्वारा बंटवारा स्किम के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ती नही होना जाहीर किया ।

प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर आई बंटवारा स्कीम के तहत प्राप्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित समझने से अन्तिम निर्णय/डिक्री पारित की जाती है।

कियात्मक आदेश

वाद वादीगण अन्तिम डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है मौजा भण्डारियां पटवार मण्डल सुरपुर खाता संख्या 353 किता 1 कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1

मध्य हिस्से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होकर कायम है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच बंटवारा स्कीम प्राप्त हुई है उसी अनुसार अन्तिम डिकी पारित की जाती है। तहसीलदार डूंगरपुर को अन्तिम डिकी जारी कर आदेशित किया जाता है कि तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा बटवारा स्कीम की परिशिष्ठ A एवं नक्शा ट्रेस परिशिष्ठ B इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेंगें तद्नुसार खातेदारान का नाम राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करते हुये अलग खाते कायम करें। निर्णययानुसार अन्तिम डिकी जारी की जावे। पत्रावली शुमार होकर दाखित दफतर की जावे।

अन्तिम निर्णय आज दिनांक 25.09.2025 को सुनाया गया ।

(सांवरमल आबासरा)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर